उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

पंजीकृत

संदर्भ संख्या............................सी–1/एन0ओ0सी0–1253/2017 दिनांक......................

सेवा में,

मै0 सालिटेयर रियल इन्फा प्रा0लि0,
रजिस्टर्ड आफिस–डी–835, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी,
नई दिल्ली–110025

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से आवासीय परियोजना की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि परियोजना को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापनार्थ सहमति (एन0ओ0सी0) स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:–

(क) **स्थलः**– मै0 सालिटेयर रियल इन्फा प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित "सालिटेरियन सिटी" जी0एच0–बी–1 एव बी–2, सेक्टर–25, जे0पी0ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

(ख) **उत्पादनः**– प्रस्तावित 66974.00 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल पर बिल्टअप एरिया 233423.83 वर्गमीटर का निर्माण कार्य।

(ग) **मुख्य कच्चे मालः**– बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) **घरेलू उत्प्रवाह की मात्राः**– 796 कि0ली0/दिन

(ड.) **प्रयुक्त ईंधनः**– 600 केवीए क्षमता के 08, 160 केवीए क्षमता का 01 एवं 250 केवीए क्षमता का 01 डी0जी0 सेट हेतु डीजल।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. परियोजना में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. परियोजना इकाई में परीक्षण उत्पादन/संचालन तब तक प्रारम्भ नही करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन/संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन/संचालन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि परियोजना/उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नही करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना/उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

कृ0पृ0उ0

मै0 सालिटेयर रियल इन्फ्रा प्रा0लि0, जी0एच0– बी–1 एव बी–2, सेक्टर–25, जे0पी0ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

24. All medical help, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material related to dust emission.

25. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.

26. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.

27. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.

28. Wind breaking walls will be constructed around the construction site.

29. Green belt will be developed around the buildings as per Rules.

30. All approach roads & incampus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.

31. अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तो एव बोर्ड में जमा बैंक गारण्टी सं0 149871117000014 दिनांक 26.05.2017 रू0 10.0 लाख मात्र में वर्णित समस्त शर्तो का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें। अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग/परियोजना द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 31.07.2017 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

(डा0 राजीव उपाध्याय)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0. एन0ओ0सी0 तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

टण्डन/